न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **320/2025** अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
बगताराम पुत्र अखाराम जाति जाट, निवासी झरी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 17.10.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 203/72 रकबा 11.6549 हैक्टेयर मौजा लीकड़ी, तहसील शिव में आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार नाथूसिंह पुत्र उमसिंह से जरिये बैचान दस्तावेज क्रय कर मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त बैचान दस्तावेज का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नामांतरकरण संख्या 76 की स्वीकृति से हुआ है। बैचान दस्तावेज में प्रार्थी का नाम व वल्दियत बगता पुत्र अखा अंकित की गई जबकि नामांतरकरण भरते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना जांच किये लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम बख्ताराम पुत्र अनाराम का अंकन कर दिया गया, जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम बगताराम पुत्र अखाराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज बख्ताराम पुत्र अनाराम से प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहने पर उक्त आवेदन प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बख्ताराम पुत्र अनाराम के स्थान पर बगताराम पुत्र अखाराम दुरस्त करवाने बाबत् पेश किया गया है।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर मौजा लीकड़ी, तहसील के खेत खसरा नम्बर 203/72 रकबा 11.6549 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम बख्ताराम पुत्र अनाराम के स्थान पर बगताराम पुत्र अखाराम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम बगताराम पुत्र अखाराम ही दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:36:19 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बख्ताराम पुत्र अनाराम गलत होने से प्रार्थी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा न ही कृषि ऋण प्राप्त हो रहा है। अतः विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम बख्ताराम पुत्र अनाराम के स्थान पर बगताराम पुत्र अखाराम दुरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

हमने प्रार्थी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बख्ताराम पुत्र अनाराम के स्थान पर बगताराम पुत्र अखाराम दुरस्त करने का पेश किया है। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर मौजा लीकड़ी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 203/72 रकबा 11.6549 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम बख्ताराम पुत्र अनाराम के स्थान पर बगताराम पुत्र अखाराम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम बगताराम पुत्र अखाराम ही दर्ज होना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ पेश विभिन्न दस्तावेज बैचान दस्तावेज के अवलोकन से भी प्रार्थी का नाम बगता पुत्र अखा होना पाया गया है। यदि प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम दुरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को विभिन्न महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं से महरूम रहना पड़ सकता है। अतः ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नाम दुरस्ती के आवेदन को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लीकड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 203/72 रकबा 11.6549 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए बख्ताराम पुत्र अनाराम के स्थान पर बगताराम पुत्र अखाराम दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:36:19 IST
Reason: SelfAttested